



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 28 मार्च 2026 ई० (चैत्र 7, 1948 शक संवत्) [संख्या 13

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	133—144	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	181—186	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	667-696	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

05 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 1709/96-आयुष-1-2024-डब्लू-307/2019-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पूर्व पत्र संख्या-322(1)/7/डी0आर0/एस-11/2012-13, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त 325 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ शासन को उपलब्ध करायी गयी थी। प्रश्नगत पद के 01 (एक) अभ्यर्थी डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी, श्रेणी दिव्यांग (पी0बी0) का चयन न होने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी थी, तदोपरान्त शासन द्वारा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के 544 पदों पर प्रेषित अध्याचन के क्रम में आयोग द्वारा सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल न होने के कारण याची डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी को साक्षात्कार हेतु आहूत नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत याची डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा पुनः मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-4276/2020 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है—

“The State Public Service Commission is directed to permit the petitioner for the interview provisionally against the post reserved for partial blind candidates and the result thereof shall be kept under sealed cover.”

1— उक्त दोनों रिट याचिका संख्या-22147/2019 तथा 4276/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समेकित रूप से सुनवाई करते हुये दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया—

9. Considering the aforesaid stand, both the petitions are disposed of with direction to the opposite parties to appoint the petitioner on the post of Medical Officer (Ayurvedic) and place him in the seniority list just above opposite party no.3, as she is the lowest person in the merit list of the candidates belonging to physically handicapped persons.

2— सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के विरुद्ध मा0 आयोग द्वारा विशेष अपील (डिफेक्टिव) सं0-573/2023 दाखिल की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया—

On a plain reading of the judgment impugned, we find that the impugned order passed by the Writ Court is a consent order, therefore, in the circumstances of the case, the adjustment of the respondent no.1 as well as other affected candidates shall abide by the outcome of the special appeal.

3— उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के समादर में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01/2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी०एच०-पी०बी० के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि०सं०-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी०एच०-पी०बी०) को शासन द्वारा अधिसंख्य पद सृजित किये जाने की प्रत्याशा में, प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये जाने का मा० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्णय लेते हुये यह संस्तुति की गयी कि मुख्य सूची में अभ्यर्थी राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि०सं०-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी०एच०-पी०बी०) का स्थान क्रमांक-324 पर चयनित अभ्यर्थी ममता कुमारी, रजि०सं०-51440024433 (अनु० जनजाति/महिला/औप०) के नीचे तथा क्रमांक-325 पर चयनित अभ्यर्थी शेर बहादुर प्रसाद, रजि०सं०-51440004341 (अनु०जनजाति/औप०) के ऊपर रहेगा।

उपरोक्त चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-573/2023 उ०प्र० लोक सेवा आयोग बनाम डा० राधेकान्त चतुर्वेदी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

उक्त के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थी डा० राधेकान्त चतुर्वेदी की संस्तुति, उनके आवेदन पत्रादि मूलरूप में संलग्न कर मा० आयोग द्वारा शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये गये, जिसका विवरण निम्नवत् है—

रजिस्ट्रेशन नम्बर	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
51420504922	राधेकान्त चतुर्वेदी	स्व० श्री राज कुमार चतुर्वेदी	बाराबंकी	555ग/ए-211, सुभाष नगर, मानस नगर, लखनऊ-226023	ग्राम—मेहौरा, पो०—हथौँधा (जरियारी), थाना—राम सनेही घाट, तहसील- सिरौली गौसपुर, बाराबंकी, उ०प्र०-225405

4— मा० आयोग द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के समादर में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01/2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी०एच०-पी०बी० के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि०सं०-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी०एच०-पी०बी०) की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा अधिसंख्य पद सृजित किये जाने की प्रत्याशा में संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

5— मा० आयोग के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त संस्तुति के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2024 द्वारा वांछित आख्या निदेशक आयुर्वेद सेवायें से आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त 325 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-1/2013-14 दिनांक 24 अगस्त, 2013 प्रकाशित किया गया, जिसमें 229 पद अनारक्षित श्रेणी के, 84 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एवं 12 पद अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदित परिक्षार्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 10 जून 2019 से 20 जून 2019 तक सम्पन्न हुआ। याची स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् आयोग द्वारा निर्गत साक्षात्कार पत्र दिनांक 25 मई, 2019 के अनुक्रम में दिनांक 17 जून, 2019 को साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ। आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 30 जून, 2019

को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 325 अभ्यर्थियों में से 16 दिव्यांग (14 ओ0एल0 तथा 02 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए। याची डा0 चतुर्वेदी जो कि दिव्यांगजन के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी पी0बी0 श्रेणी का अभ्यर्थी था, का चयन नहीं हो सका। याची द्वारा अपना चयन न हो पाने के कारण क्षुब्ध होकर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी। वर्ष 2019 में लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयुर्वेद विभाग में चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर दिनांक 30 जून, 2019 को परिणाम घोषित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां शासन को प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में शासन द्वारा 325 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त 544 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-1/2018-19, दिनांक 18 मई, 2018 प्रकाशित किया गया, जिसमें 404 पद अनारक्षित श्रेणी के, 111 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एवं 29 पद अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदित परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13 फरवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2020 तक सम्पन्न हुआ। याची स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल न हो पाने के कारण साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सका। याची जो कि दिव्यांगजन के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी पी0बी0 श्रेणी का अभ्यर्थी था, जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल नहीं हो सका। आयोग द्वारा सफल 521 अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 521 अभ्यर्थियों में से 11 दिव्यांगजन (10 ओ0एल0 एवं 01 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए। जिसके क्रम में शासन ने 521 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

6— विदित है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त 611 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-2/2022-23 दिनांक 05 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 435 पद अनारक्षित श्रेणी, 58 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 29 पद उ0प्र0 अनुसूचित जाति, 28 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति एवं 61 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा 611 पदों के सापेक्ष सफल 601 अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 601 अभ्यर्थियों में से 03 दिव्यांगजन (02 ओ0एल0 एवं 01 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसके क्रम में शासन ने 601 अभ्यर्थियों में 399 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त पदों का वर्षवार विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है—

क्रम सं०	वर्ष	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	2017	2218	1353	865
2	2018	2218	1103	1115
3	2019	2218	1211	1007
4	2020	2218	1686	532
5	2021	2218	1696	522
6	2022	2224	1529	695
7	2023	2224	1479	745

7— प्रश्नगत प्रकरण में मा० आयोग द्वारा श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि०सं०-51420504922 की नियुक्ति किये जाने के संबंध में संस्तुति उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त याची डा० राधेकान्त चतुर्वेदी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद, उ०प्र० से तथा चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 07 मार्च, 2024 द्वारा निर्देश जारी किये गये, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक-बी-7/8/2024/118 (कैम्प), दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से डा० राधेकान्त चतुर्वेदी की मेडिकल रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट में राज्य चिकित्सा परिषद, उ०प्र० द्वारा डा० राधेकान्त चतुर्वेदी को Fit as disabled (Visually Handicapped) candidate अंकित करते हुये चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अर्ह पाया गया है।

उक्त के अतिरिक्त कार्मिक अनुभाग-4 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दिये गये प्राविधानों एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार डा० राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा चरित्र सत्यापन संबंधी प्रपत्र अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैबसू बिल्हौर, कानपुर नगर से सत्यापित कराते हुये, स्वघोषणा पत्र मय शपथ पत्र शासन में दिनांक 15 मार्च, 2024 को प्राप्त हुयी।

8— उक्त के दृष्टिगत याची डा० राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 का समयान्तर्गत अनुपालन न हो पाने के कारण मा० उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-3999/2023 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन योजित किया गया, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को सुनवाई करते हुये निम्नवत् आदेश पारित किये गये—

Case called out. None is present for the petitioner, whereas Sri Arti Upadhyay, learned counsel appearing for the opposite party no. 3 has placed the compliance affidavit which is taken on record. Sri Ram Swaroop, learned counsel for the State submits that the State may be given further four week's time to make compliance of the order passed by the writ court. As prayed, list/put up this matter in the week commencing 11.03.2024.

9— प्रश्नगत अवमाननावाद संख्या-3999/2023 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन दिनांक 08 अप्रैल, 2024 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 का अनुपालन करते हुये, तदनुसार अनुपालन शपथ पत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

10— अतएव वर्णित स्थिति में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पत्र संख्या-322(2)/7/डी०आर०/एस०-11/2012-13, दिनांक 12 जनवरी, 2024, प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें

द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेडिकल रिपोर्ट, कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर डा० राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा उपलब्ध कराये गये चरित्र सत्यापन संबंधी प्रपत्र/स्वघोषणा पत्र/शपथ पत्र के आलोक में अवमाननावाद संख्या-3999/2023 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन से संबंधित रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में अपरिहार्य विधिक बाध्यता के दृष्टिगत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01/2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी०एच०-पी०बी० के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि०सं०-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी०एच०-पी०बी०) की औपबन्धिक नियुक्ति आयुर्वेद निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा नियमावली) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्द्वारा औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात किया जाता है।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) संबंधित चिकित्साधिकारी पर उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली-1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र।

3— उ०प्र० भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता संबंधी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त बिन्दु-(6) में अंकित सभी प्रमाण-पत्र निदेशक, आयुर्वेद सेवायें

उ०प्र० लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में संबंधित चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी

जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दशा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शाहमऊ, लखनऊ/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पाठकपुर, उन्नाव/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आशापुर, रायबरेली में रिक्त किसी स्थान के विरुद्ध वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

(14) उक्त नियुक्ति प्रकरण में योजित रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-4276/2020 डा० राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में मा० लोक सेवा आयोग द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-573/2023 उ०प्र० लोक सेवा आयोग बनाम डा० राधेकान्त चतुर्वेदी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अधिष्ठान-8 अनुभाग

कार्यालय-ज्ञाप

17 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 958/अधि०-8/राजपत्रित-शासनादेश सं०-वे०आ०-2-796/दस-62(एम)/2008 टी०सी०, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 दिनांक 31 मई, 2011 के अनुपालन में निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल) जिन्हें 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड पे रु० 5,400/- अनुमन्य किया जा चुका है, को एतद्वारा राजपत्रित प्रास्थिति प्रदान की जाती है। राजपत्रित प्रास्थिति के फलस्वरूप वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी—

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि	वरिष्ठता	विभाग में नियुक्ति की तिथि	द्वितीय ए०सी०पी० स्वीकृत किये जाने की तिथि	द्वितीय ए०सी०पी० ग्रेड पे रु० 5,400/- की स्वीकृति आदेश
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री/श्रीमती—						
1	दया शंकर सिंह	21.06.67	6333	14.08.06	14.08.22	1074/गु०अ०बा०सा० दिनांक 23.02.23
2	श्रीमती श्वेता सिंह	19.12.77	6525	31.10.06	31.10.22	19/मु०अ०/अनुएवंनियो० दिनांक 04.03.23

1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री/श्रीमती—						
3	हेमन्त कुमार रावत	20.11.79	6143	23.08.06	23.08.22	3060/मुअबे/पी-7 दिनांक 21.03.23
4	अशोक कुमार मिश्रा	16.05.73	6197	06.07.06	06.07.22	3061/मुअबे/पी-7 दिनांक 21.03.23
5	बिन्दा प्रसाद	06.08.71	6462	25.11.06	25.11.22	3062/मुअबे/पी-7 दिनांक 21.03.23
6	संजय कुमार सिंह	16.09.72	6283	21.07.06	21.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
7	योगेन्द्र प्रसाद चौधरी	25.09.74	6524	23.09.06	23.09.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
8	पारस नाथ गुप्ता	02.02.72	6369	25.07.06	25.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
9	राघवेन्द्र कुमार नायक	21.04.08	6398	06.07.06	06.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
10	यूसुफ अख्तर अंसारी	13.07.71	6175	30.06.06	30.06.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
11	लवकुश सिंह	22.07.73	6355	01.08.06	01.08.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
12	प्रदीप कुमार पाण्डेय	01.07.72	6153	25.07.06	25.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
13	सुरेश यादव	01.07.69	6406	04.07.06	04.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
14	शम्भू नाथ कुशवाहा	10.01.72	6367	25.08.06	25.08.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
15	संजीव कुमार पटेल	01.11.73	6392	01.07.06	01.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
16	भगवान जी यादव	01.08.78	6334	23.08.06	23.08.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
17	रजनी कान्त राय	17.09.71	6221	28.07.06	28.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023

1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री/श्रीमती—						
18	अमर नाथ वर्मा	20.06.76	6252	20.07.06	20.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
19	अरविन्दकुमार यादव	08.09.72	6211	29.06.06	29.06.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
20	जगदीश बहादुर लाल श्रीवास्तव	04.07.74	6142	12.07.06	12.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
21	भानु प्रताप	05.06.70	6508	24.07.06	24.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
22	राकेश रोशन	01.03.79	6222	11.08.06	11.08.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
23	जय प्रकाश यादव	17.09.69	6306	31.07.06	31.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
24	उदय नारायण पाण्डेय	02.07.71	6150	25.07.06	25.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
25	वीरेन्द्र कुमार	30.06.76	6219	17.08.06	17.08.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
26	अर्जुन प्रसाद	18.06.75	6505	07.07.06	07.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
27	राजेश कुमार	01.03.77	6351	14.07.06	14.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
28	दीनानाथ कुशवाहा	06.07.69	6248	04.07.06	04.07.22	2000/मुअगंगो दिनांक 12.04.2023
29	रमा शंकर मौर्य	05.07.76	6658	30.05.07	30.05.23	1386/परि० बेतवा दिनांक 17.02.24
30	रामवीर सिंह	10.10.76	6833	01.06.07	31.05.23	5265/मु०अ०यमुना दिनांक 03.08.23
31	वीरपाल सिंह	01.08.76	6842	12.06.07	11.06.23	5265/मु०अ०यमुना दिनांक 03.08.23

1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री/श्रीमती—						
32	राजेन्द्र कुमार	04.07.72	6831	01.06.07	31.05.23	5265/मु०अ०यमुना दिनांक 03.08.23
33	महेश चन्द्र	07.06.63	6730	16.06.07	15.06.23	5265/मु०अ०यमुना दिनांक 03.08.23
34	अनीस अहमद	30.06.71	6399	02.08.06	02.08.22	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
35	शिव शंकर	03.01.68	6288	19.08.06	19.08.22	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
36	कुन्दन लाल	25.11.69	6501	17.06.06	17.06.22	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
37	नरेन्द्र सिंह	10.07.79	6440	07.09.06	07.09.22	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
38	चन्द्र नारायण गुप्ता	27.10.76	6365	28.07.06	28.07.22	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
39	नृपेन्द्र कौशल	30.01.76	6798	26.05.07	26.05.23	5914/मु०अ०यमुना दिनांक 23.08.23
40	सुदेश कुमार	18.07.76	6619	14.06.07	14.06.23	5914/मु०अ०यमुना दिनांक 23.08.23
41	घनेन्द्र कुमार मौर्य	01.01.73	6330	23.05.06	23.05.22	540/मु०अ०बेतवा दिनांक 17.08.22
42	राम नारायण	07.05.75	6338	01.07.06	01.07.22	9170/मु०अ० सज्जा दिनांक 07.08.23
43	दिलीप कुमार	11.12.74	6240	29.06.06	29.06.22	3065/मु०अ०बेतवा दिनांक 03.11.22
44	सतेन्द्र मोहन	29.04.77	6435	22.07.06	22.07.22	805/मु०अ० सज्जा दिनांक 30.01.23

1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री/श्रीमती—						
45	सुबोध कुमार	25.05.76	6550	06.07.07	06.07.23	9356/मु०अ० शारदा दिनांक 28.07.23
46	विनोद कुमार	09.09.78	6332	28.07.06	28.07.22	4256/सिंकांम०अ० दिनांक 28.09.2022
47	करन सिंह सागर	07.07.64	6498	01.07.06	30.06.22	1905/मु०अ०/अनु० दिनांक 05.11.2022
48	बिन्दा प्रसाद मिश्रा	03.04.74	6229	01.07.06	01.07.22	10306/मु०अ०प०बे० दिनांक 23.11.2022
49	अर्जुन कुमार	03.07.73	6467	20.06.06	20.06.22	10307/मु०अ०प०बे० दिनांक 23.11.2022
50	दिलीप कुमार	11.12.74	6240	20.06.06	20.06.22	10308/मु०अ०प०बे० दिनांक 23.11.2022
51	संजय कुमार	02.06.77	6430	01.08.06	01.08.22	5744/सिंकांमअ दिनांक 19.12.2022
52	ज्ञानेन्द्र सिंह	01.07.75	6385	06.07.06	06.07.22	5110/सिंकांमअ दिनांक 19.12.2022
53	सतीश चन्द्र	01.07.75	6278	27.07.06	27.06.22	1330/शा०स०अनु० दिनांक 08.02.2023
54	बृजभान यादव	12.10.77	6190	01.08.06	01.08.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
55	चन्द्र प्रकाश	10.07.73	6308	21.06.06	21.06.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
56	सहदेव कुमार गंगवार	15.12.76	6346	23.06.06	23.06.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
57	सर्वेश कुमार	30.06.67	6364	22.06.06	22.06.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
58	हंसराज यादव	15.08.74	6339	24.08.06	24.08.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
59	प्रमोद कुमार	01.01.77	6470	03.07.06	03.07.22	467/मु०अ०शाब दिनांक 27.01.2023
60	बलवीर सिंह	01.04.78	6474	18.08.06	18.08.22	2999/मु०अ०म०गं०परि० दिनांक 23.05.23

नोट—उक्त आदेशों से पारस्परिक वरिष्ठता प्रभावी नहीं होगी।

संदीप कुमार,
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 मार्च, 2026 ई० (चैत्र 7, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

12 मई, 2025 ई०

सं० वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2025/1146—दिनांक 13 मई, 2025 से 10 जून, 2025 के मध्य बड़ा मंगल, दिनांक 07 जून, 2025 को ईद-उल जुहा (बकरीद) पर्व, दिनांक 06 जुलाई, 2025 को मोहर्रम व दिनांक 10 जुलाई, 2025 को गुरु पूर्णिमा आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। पहलगाम, जम्मू कश्मीर में घटित आतंकवादी घटना के उपरान्त भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान में अवस्थित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग कैंम्पों पर की गयी सैन्य कार्यवाही व देश में उभरते वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य एवं वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शन कारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधान भवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाईंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्य-क्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6— किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7— कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे— तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8— कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9— कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11— सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12— लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13— लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14— लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे—जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिशनरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय -पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16— परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17— कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिशनरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 13 मई, 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 11 जुलाई, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक 12 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

बबलू कुमार,

संयुक्त पुलिस आयुक्त,

कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।

16 जुलाई, 2025 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2025/1914-दिनांक 09 अगस्त, 2025 को रक्षाबन्धन, दिनांक 14 अगस्त, 2025 को चेहल्लुम, दिनांक 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस, दिनांक 16 अगस्त, 2025 को जन्माष्टमी, दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को बारावफात व दिनांक 06 सितम्बर, 2025 को अनन्त चतुर्दशी आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधान भवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाईंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्य-क्रमों में यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6- किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7- कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8- कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14- लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे-जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के

नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिशनरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे-परिचय-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब-कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17- कोविड-19 के दृष्टिगत उ०प्र० शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिशनरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 14 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक 16 जुलाई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

बबलू कुमार,
संयुक्त पुलिस आयुक्त,
कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 मार्च, 2026 ई० (चैत्र 7, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पंचायत लार, देवरिया

07 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 89/न०प०लार-उपविधि-2025-26-पत्राक संख्या-170/न०प० लार-2025-26 उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लार द्वारा अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपने लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत लार में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्कम में दैनिक समाचार पत्र गोरखपुर केशरी में दिनांक 08 नवम्बर, 2025 एवं दिव्य उजाला में दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा० बोर्ड बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को प्रस्ताव संख्या-02 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क)” उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि 300 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ—

- (1) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) “अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया के अधिकासी अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर पॉल्यूशन ऐक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग वाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय

द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अर्द्ध प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

(10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1000.00 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में— सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500.00 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जायेगा।

(14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्रवधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

2— गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden Waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशामें परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16)— बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000.00 रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर की स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन, जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु० 1,500.00 रु० अथवा (समय-समय पर मा० बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है—

क्रम सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये
1	केयर टेकर का नाम, मो०नं०, टॉयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रंट दीवाल पर अंकित	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100

1	2	3	4
			रुपये
6	शौचालयों को ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हार्डमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाए।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाए जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन-

(1) नगर पंचायत के सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) निकाय सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा

डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0 2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, स्टीकर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्रम सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
1	2	3
		रुपये
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजनकक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000

1	2	3
		रुपये
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत लार,
देवरिया।

कार्यालय, आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज

01 मार्च, 2025 ई0

सं0 356/न0पं0बृ0/2025-26—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बृजमनगंज द्वारा लाईसेंसिंग शुल्क लगाये जाने के लिए आम नागरिकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-356/न0पं0बृ0/2024-25 दिनांक 01 मार्च, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों (आज एवं स्वतंत्र चेतना) में एक दिन के अंक में प्रकाशित कराया गया, प्रकाशित तिथि से 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त उपविधि की पुष्टि किये जाने हेतु पत्र संख्या-35/न0पं0बृ0/2025-26 दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र (स्वतंत्र चेतना) में उपविधि प्रकाशित करायी गयी, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अतएव उक्त नियमावली की पुष्टि करते हुए अधिनियम की धारा-301(2) के अधीन उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशन कराया जाना है, यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, यह नियमावली नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद-महाराजगंज के सीमान्तगत लाईसेंसिंग शुल्क उपविधि वर्ष-2024 कहलायेगी।

1— शीर्षक— यह उपविधि नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज लाईसेंसिंग शुल्क उपविधि वर्ष-2024 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषायें— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1— “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

2— “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद-महराजगंज के बोर्ड/समिति से है।

3— “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद-महराजगंज से है।

4— “अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज, महराजगंज के अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी से है।

5— “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

6— उक्त उपविधि में संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

4— यह उपविधि लागू होते ही नगर पंचायत बृजमनगंज, महराजगंज में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उप नियमों के असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

उपनियम

5— इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पंचायत द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थायी दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होंगे।

6— यह उपनियम लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलायेंगे।

7— कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8— लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिये होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिये 3 गुना या 5 वर्ष के लिये 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

9— प्रत्येक व्यवसायी/व्यापारी आदि लाइसेन्स प्राप्त हेतु प्रत्येक 31 मार्च तक आगामी वर्ष हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ व्यवसाय स्थल का साइट प्लान को संलग्न करेगा। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र फरवरी माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा और नवीनतम लाइसेन्स की छायाप्रति भी संलग्न करेगा। माह मार्च में अपना लाइसेन्स प्राप्त कर लेगा।

10— प्रत्येक व्यवसायी लाइसेन्स प्राप्ति हेतु नीचे लिखे प्रारूप पर अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा।

प्रार्थना-पत्र वास्ते लाइसेन्स

नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद महराजगंज

(1)— आवेदक का नाम

(2)— पिता/पति का नाम

- (3)— स्थायी पता
- (4)— अस्थायी पता
- (5)— व्यवसाय स्थल का पता
- चौहद्दी
-
- (6)— व्यवसाय का पूर्ण विवरण
- (7)— वर्ष
- (8)— पिछली लाइसेन्स संख्या
- (9)— अन्य विभाग से प्राप्त लाइसेन्स का विवरण (यदि कोई हो)

प्रार्थी

यदि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में समय-समय पर आवश्यकतानुसार जानकारी चाही जायेगी तो उसका उल्लेख भी प्रार्थना-पत्र में करना अनिवार्य होगा, जिसके कारण प्रारूप में परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

11— प्रत्येक व्यवसायी/व्यापारी आदि को माह जून के अन्त तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु० 100.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

12— प्रत्येक लाइसेन्स धारक को इस उपनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है, यदि कोई व्यवसायी/व्यापारी आदि लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात् इन उपनियमों को भी नियम का उल्लंघन करना पाया जाता है तो लाइसेन्स अधिकारी/अधिकृत अधिकारी को लाइसेन्स निलम्बित करने दण्ड व जुर्माना करने का अधिकार होगा जो रु० 100.00 से रु० 500.00 तक हो सकता है।

13— यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेन्स प्राप्त करें कोई व्यवसाय करता है और निरीक्षण में पकड़ा जाता है तो निरीक्षणकर्ता समस्त सामान की प्राप्ति देकर सामान सुपुर्दगी में ले लेगा और नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज में जमा कर देगा। यदि यह व्यक्ति एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित किया गया जुर्माना अदा नहीं करता है तो बिना पूर्व सूचना नीलाम कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त धनराशि नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज के कोष में जमा कर दी जायेगी। वही व्यक्ति उस धनराशि को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

14— लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता नगर पंचायत कार्यालय पर अपेक्षित धनराशि अधिकृत कर्मचारी को जमा कर आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिये आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करें।

15— केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस इससे भिन्न होगा।

16— ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

17— नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिकासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होंगे।

18— अधिकासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेंस निर्गत कर सकते हैं।

19— जो शुल्क तालिका में नहीं है उससे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

20— इस उपनियम की शर्तों व दरों में बोर्ड संशोधन कर सकता है, शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जा सकते हैं।

21— प्रत्येक वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।

22— अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिकारी को नहीं होगा।

23— इन उपनियमों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

24— नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने का अधिकार होगा।

25— लाइसेंस सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिकासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

26— लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

27— कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट, किसी गौशाला, सार्वजनिक शौचालय, खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। पेयजल का निष्क्रमण कराना होगा। होटल एवं रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक होगी।

28— प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालॉजी सेन्टर, एक्स-रे, क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरिन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

29— किराया/निजी भार वाहन/यात्री वाहन, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

30— पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री एवं संग्रह के लिये पेट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिये अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहाँ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेंस धारी को करना होगा। बुकिंग काउंटरों पर सिलेण्डर का जमाव नहीं होगा।

31— वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जाँच कराकर लाइसेंस निरस्त करके उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा।

32— केबिल टी0वी0/इण्टरनेट के लाइसेंस धारी बिना नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेंगे।

33— सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

34— डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहाँ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा।

35— प्रत्येक जानवर मालिक के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैगिंग करायें। जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे। जानवरों को इकट्ठा ले जाने व लाने पर स्वयं साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगी।

36— रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते हैं।

37— मिठाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ेदान का प्रबन्ध को करना होगा। दुकान में रखी सामग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

38— प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा टागें।

39— कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्ययसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

40— नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज लाइसेंस दरें निम्न रूप से निर्धारित करते हैं—

क्रम सं०	लाइसेंस की मद	दर
1	2	3
		रुपये—
1—	होटेल, रेस्टोरेन्ट— होटल, लाज तथा गेस्ट हाउस, धर्मशाला बारात घर	8,000.00
2—	रेस्टोरेन्ट	1,000.00
3—	सूक्ष्म जलपान की दुकान	500.00
4—	भोजनालय व ढाबा	1,000.00
	नर्सिंग होम—	
5—	नर्सिंग होम/प्राइवेट हॉस्पिटल (20 बेड तक)	2,000.00
6—	नर्सिंग होम/प्राइवेट हॉस्पिटल (20 बेड से ऊपर)	5,000.00

1	2	3
		रुपये—
7—	पैथॉलोजी सेन्टर	1,000.00
8—	डेंटल क्लीनिक	1,000.00
9—	प्राइवेट क्लीनिक / फिजियोथेरेपी क्लीनिक	1,000.00
10—	एक्स-रे / अल्ट्रासाउण्ड / सिटी स्कैन / ई0सी0जी0	2,000.00
	परिवहन—	
11—	आटो रिक्शा	100.00
12—	ई-रिक्शा	100.00
13—	बस	1,000.00
14—	रिक्शा	50.00
15—	चार पहिया ठेला-ठेली	100.00
16—	हाथ ठेला	50.00
17—	व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित	500.00
	अन्य व्यवसाय—	
18—	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड / इन्श्योरेन्स कम्पनी / प्राइवेट ऑफिस	5,000.00
19—	बार / बीयर / विदेशी शराब की दुकान	8,000.00
20—	आइस फैक्ट्री	2,000.00
21—	भू-बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	10,000.00
22—	देशी शराब	6,000.00
23—	मांस की दुकान बकरा / मुर्गा / मछली	500.00
24—	पेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर)	8,000.00
25—	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन / गैस एजेन्सी	8,000.00
26—	ऑटा चक्की	500.00
27—	धुलाई (लॉन्ड्री) / ड्राइक्लीनर्स	300.00
28—	कोल्ड स्टोर	5,000.00
29—	ईट भट्ठा	5,000.00
30—	इण्टरलॉकिंग ईट कारखाना	3,000.00
31—	मिठाई / पेठा आदि बनाने का कारखाना	500.00
32—	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	1,000.00
33—	लोहा टिम्बर / सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स	5,000.00
34—	बिजली के सामान विक्रेता	500.00

1	2	3
		रुपये—
35—	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर विक्रेता	500.00
36—	बेकरी	500.00
37—	हेयर कटिंग सैलून	500.00
38—	ब्यूटी पार्लर	500.00
39—	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
40—	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
41—	टेलरिंग हाउस	300.00
42—	कोयला थोक विक्रेता	2,000.00
43—	कोयला फुटकर विक्रेता	500.00
44—	मसाला/पान मसाला कारखाना	2,000.00
45—	पेन्ट्स की दुकान	500.00
46—	ज्वैलर्स बड़े	2000.00
47—	ज्वैलरी आभूषण विक्रेता	1,000.00
48—	डेरी फर्म	1,000.00
49—	केवल इण्टरनेट/टी0वी0	1,000.00
50—	अनाज तिलहन चीनी, गुड़ थोक विक्रेता	500.00
51—	अनाज तिलहन चीनी, गुड़ फुटकर विक्रेता	200.00
52—	टेन्ट हाउस	1,000.00
53—	पान की दुकान	100.00
54—	चाय की दुकान	200.00
55—	परचून/किराना दुकान थोक	500.00
56—	परचून/किराना दुकान फुटकर	200.00
57—	किताबों की थोक दुकान	500.00
58—	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
59—	लकड़ी के टाल की दुकान थोक	1,000.00
60—	लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर	500.00
61—	आरा मशीन	8,000.00
62—	रेडियो/टी0वी0 मरम्मत	200.00
63—	फर्टिलाइजर शॉप	1,000.00
64—	मिठाई की दुकान	200.00

1	2	3
		रुपये—
65—	चाट बताशों की दुकान	100.00
66—	ड्राईफ्रूट विक्रेता	300.00
67—	सब्जी/फल की दुकान	100.00
68—	मसाले विक्रेता	100.00
69—	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
70—	बर्तन की दुकान थोक/फुटकर	500.00
71—	कबाड़खाना	500.00
72—	रुई विक्रेता धुनाई मशीन	200.00
73—	स्पेलर (तेल) घानी उद्योग	500.00
74—	मेडिकल स्टोर बड़ा/थोक	500.00
75—	अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	300.00
76—	वैद्य व यूनानी दवा/हकीम की दुकान	300.00
77—	होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान	300.00
78—	मोटर पार्ट्स की दुकान/वाहनों की मरम्मत वर्कशॉप	500.00
79—	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चालित	200.00
80—	पशु बाजार	1000.00
81—	वाहन शोरूम/एजेंसी/मॉल/शोरूम	2000.00
82—	प्रिंटिंग/फ्लेक्स दुकान	1000.00
83—	एडवर्टाइजिंग फर्म/होर्डिंग	2000.00
84—	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नहीं हो सके हैं।	500.00 से
		25,000.00 तक

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299) (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 3,000.00 (तीन हजार रुपये मात्र) अथवा लाइसेंस मद हेतु निर्धारित दर को दो गुना जो अधिक हो, तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अलावा लिया जायेगा।

अध्यक्ष,

नगर पंचायत बृजमनगंज,

जनपद-महाराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम SHARMA ABHINAV पुत्र अनुपम शर्मा अंकित है तथा मेरे आधार कार्ड संख्या— 9971 2507 4774 एवं पैन कार्ड KQNPS1950N में मेरा नाम ABHINAV SHARMA अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे ABHINAV SHARMA पुत्र अनुपम शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उक्त से सम्बन्ध में सभी विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अभिनव शर्मा पुत्र अनुपम शर्मा,
पता— 702 कल्याण अपार्टमेंट सेक्टर— 24,
बीटीसी इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुशांत चौधरी (SUSHANT CHAUDHARY) पुत्र सौरभ चौधरी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3118 9974 4831 में उसका नाम सरल चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुशांत चौधरी (SUSHANT CHAUDHARY) पुत्र सौरभ चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सौरभ चौधरी,
2079 कृष्णा नगर न्यू इंद्रलोक कौलोनी,
के0 वी0 एस0 के0 इंटर कॉलेज,
मानस नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी यादव (Laxmi Yadav) पुत्री जितेन्द्र कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 5329

2751 1551 में उसका नाम Lachami अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लक्ष्मी यादव (Laxmi Yadav) पुत्री जितेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कंचन देवी,
पत्नी जितेन्द्र कुमार यादव,
निवासी— ग्राम निफरा पोस्ट नंदिनी,
मिर्जापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशील कुमार दीक्षित (Sushil Kumar Dixit) पुत्र वंश गोपाल दीक्षित है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं—9955 5163 9810 में मेरा नाम सुनील कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशील कुमार दीक्षित (Sushil Kumar Dixit) पुत्र स्व0 वंश गोपाल दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुशील कुमार दीक्षित,
पुत्र स्व0 वंश गोपाल दीक्षित,
निवासी थाना नौबस्ता 128/23 आर रविन्द्र नगर
यशोदा नगर, कानपुर नगर, उ० प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित चौधरी पुत्र रमाशंकर है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8540 3170 8470 में उसका नाम शिवांस अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित चौधरी पुत्र रमाशंकर के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रमाशंकर पुत्र मेवालाल,
निवासी एकौनी कौंधियारा जारी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुजवन्ती कुमारी पुत्री गजाधर प्रसाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7258 5120 2479 मेरा नाम सुजू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मुझे मेरे सही नाम सुजवन्ती कुमारी पुत्री गजाधर प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुजवन्ती कुमारी,
N8/236R/164N
गनेश धाम सुन्दरपुर,
नेवादा सुन्दरपुर, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूजा दीक्षित (POOJA DIXIT) पुत्री राजेन्द्र दीक्षित है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार नं०-7839 2254 5171 मे मेरा नाम सोनी (SONI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूजा दीक्षित (POOJA DIXIT) पुत्री राजेन्द्र दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूजा दीक्षित, पुत्री राजेन्द्र दीक्षित,
निवासी-सुभाषनगर, पश्चिमी, फतेहपुर-84,
पोस्ट-सफीपुर, जनपद-उन्नाव, उ०प्र०।

NOTICE

It is inform that my daughter's name is SHREYA SRIVASTAVA, which is also mentioned in her educational records. But by mistake, my daughter's name has been mentioned as Srijta Srivastava in her Aadhaar number 7758 2272 8740, which is wrong. In future my daughter should be known and recognized by her correct name SHREYA SRIVASTAVA. It is hereby certified that all the legal formalities regarding the above have been completed by me.

Praveen Kumar Srivastava.
Village and Post Dinkarpur,
Mankapur, Gonda, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम ईशु मिश्रा पुत्री हिमालय मिश्र है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड सं० 3225 9550 4858 में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम ईशु मिश्रा से बदल कर ईशान्वी मिश्रा रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को ईशान्वी मिश्रा पुत्री हिमालय मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

हिमालय मिश्र
1/105 एम०आई०जी०, आवास विकास कालोनी,
योजना-3, झूंसी, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम माधुवी पाण्डेय (MADHUWEE PANDEY) पुत्री महेश चन्द्र पाण्डेय (MAHESH CHANDRA PANDEY) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3637 3000 0996 में मेरा

नाम माधवी (MADHAVI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम माधुवी पाण्डेय (MADHUWEE PANDEY) पुत्री महेश चन्द्र पाण्डेय (MAHESH CHANDRA PANDEY) पत्नी आदित्य पाण्डेय (ADITYA PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

माधुवी पाण्डेय, पुत्री महेश चन्द्र पाण्डेय,
पत्नी आदित्य पाण्डेय,
खलासी लार्डन, कीडगंज प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व धारण का सचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रथम मिश्रा पुत्र कमला शंकर मिश्रा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7419 4100 6486 में उसका नाम मिश्रा आर्दश कमलेश अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम प्रथम मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ सव्य मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कमला शंकर मिश्रा
पता— सराय जाजा उर्फ झलिहा
पोस्ट— छाता परगना सिकन्दरा
तहसील फूलपुर प्रयागराज ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकिता सिंह (Ankita Singh) पुत्री उमेश चन्द्र सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं—9551 3408 0003 में मेरा नाम अंशिका सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकिता सिंह (Ankita Singh) पुत्री उमेश चन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंकिता सिंह पुत्री उमेश चन्द्र सिंह,
अस्थाई पता—फेस—2 सेक्टर—87 ऐलभास नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर उ० प्र०।
स्थाई पता—बुंदावा पुरा गणेश जसरा,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रतीक केशरवानी पुत्र पंकज केशरवानी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं० 8349 1025 4643 में मेरा नाम पंकज केशरवानी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रतीक केशरवानी पुत्र पंकज केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रतीक केशरवानी,
निवासी— ग्राम रगपुरा बहमलपुर,
फाफामऊ, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम शिव पूजा सिंह पुत्री मस्त राम सिंह है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 2164 7623 8751 में मेरा नाम कु० शिव पूजा सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम शिव पूजा सिंह पुत्री मस्त राम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिव पूजा सिंह पुत्री मस्त राम सिंह,
पता—45 सोनपुरा गांव, सोनपुरा, पोस्ट बसहरा,
उपरहार, बैरी, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य सक्सेना पुत्र अंकित सक्सेना है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 5107 7619 9083 में उसका नाम मृणाल अंकित सक्सेना अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य सक्सेना पुत्र अंकित सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंकित सक्सेना पुत्र विमल कुमार,
पता— 405/82 चौपटिया रोड,
चौक लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० मुन्नी देवी (Km. Munni Devi) पुत्री विद्यानन्द प्रसाद मौर्या है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 3689 5638 8307 में मेरा नाम मन्नी देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० मुन्नी देवी पुत्री विद्यानन्द प्रसाद मौर्या पत्नी मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० मुन्नी देवी पुत्री विद्यानन्द प्रसाद मौर्या,
पत्नी मनोज कुमार,
पता—डी 65/459क लहरतारा, बौलिया,
वाराणसी, कैंट वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बासदेवी यादव पत्नी स्व० गेतालू राम यादव है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र

एवं मेरे पति की सेवा सम्बन्धित अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 7824 7697 7782 में मेरा नाम बास देई अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बासदेवी यादव पत्नी स्व० गेतालू राम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बासदेवी यादव, पत्नी स्व० गेतालू राम यादव,
ग्राम मियांचक, पो०— सुल्तानपुर घुघुरी,
तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओम दुबे (OM Dubey) पुत्र अनिल कुमार दुबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 6057 0289 5404 में उसका नाम Adarsh Dubey अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओम दुबे (OM Dubey) पुत्र अनिल कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनिल कुमार दुबे पुत्र स्व० राजमणि दुबे,
पता—साईपुर विरांव, हसनपुर, बिरांव,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभम आर्या पुत्र सुनील कुमार आर्या है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6158 7013 6895 में मेरा नाम सुन्दर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम आर्या पुत्र सुनील कुमार आर्या को नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शुभम आर्या पुत्र सुनील कुमार आर्या,
निवासी-50/ए, रम्मन का पुरा,
इलाहाबाद, धूमनगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिवनूर कौर छाबरा पुत्री अवनीत छाबरा है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-2883 7694 8430 में उसका नाम अवरीत छाबरा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिवनूर कौर छाबरा, पुत्री अवनीत छाबरा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अवनीत छाबरा, पुत्र जसपाल सिंह छाबरा,
निवासी- 60/1/2, अरोरा भवन,
चन्दर नगर, आलमबाग लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मुस्तफा मलिक पुत्र आफताब आलम मलिक है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5006 2577 8167 में उसका नाम अब्दुल मुस्तफा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मुस्तफा मलिक पुत्र आफताब आलम मलिक के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आलिया पत्नी आफताब आलम,
निवासी- 225, इटावा,
जनपद सिद्धार्थनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशील कुमार राय पुत्र स्व० उमा शंकर राय है जो मेरे पैनकार्ड, परिवार रजिस्टर, खतौनी, तथा मोटर साइकिल के आर०सी० तथा उपजिलाधिकारी जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-3156 0887 2288 में मेरा नाम शिशिल कुमार राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशील कुमार राय पुत्र स्व० उमा शंकर राय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुशील कुमार राय, पुत्र स्व० उमा शंकर राय,
निवासी-ग्राम-धनौड़ा खुर्द, पोस्ट-धनौड़ा,
बुजुर्ग, तहसील-बासगाँव, जनपद-गोरखपुर।

NOTICE

This is to inform the general public that my daughter's correct name is Samriddhi Singh. D/o Satish Kumar, as listed in her educational records. My Daughter's Aadhaar Card Number 3590 0916 4641 is mistakenly listed as Saumyata Singh, which is incorrect. In the future, my daughter should be known and identified by her correct name, Samriddhi Singh, D/o Satish Kumar, It is hereby certified that I have personally completed all legal formalities in relation to the above.

Satish Kumar, S/o Vikma Singh Yadav,
R/o village Muhammadpur,
PO Ramgarh, Police Station Balua,
Tehsil Sakaldiha, District Chandauli.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आर्या कुमारी पुत्री सदालू राम है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9271 5142 3975 मे मेरा नाम निशा देवी अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम आर्या कुमारी पुत्री सदालू राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

आर्या कुमारी पुत्री सदा लू राम,
निवासिनी रहाइसपुर मलाक बेला,
पो० बडगाव तहसील सोरांव जनपद—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम संदीप निषाद (Sandeep Nishad) पुत्र दिलीप कुमार चौधरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—5008 2143 0368 में उसका नाम अविनाश विनोद चौधरी अंकित है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम संदीप निषाद पुत्र दिलीप कुमार चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दुर्गावती देवी पत्नी दिलीप कुमार चौधरी,
नि० महुजी वीरा सराय तहसील सकलडीहा,
चंदौली, उत्तर प्रदेश।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Arnav Singh son of Ajay Kumar Singh which is mentioned in his educational records. Due to some mistake, in my son's Aadhar Card Number- 7836 7955 0927 his name has been chaged to Piyush Singh which is a wrong name. In futute my son should be known and recognized by his correct name Arnav Singh son of Ajay Kumar Singh.

It is certified that all legal formalities in respect of the above have completed by me.

Ajay Kumar Singh,
Vill. Gamrahata Mauaima, prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूरजकली जायसवाल पत्नी स्व० राधेश्याम जायसवाल है जो मेरे खतौनी, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक व मेरे पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6493 8473 4240 में मेरा नाम भगवती अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूरजकली जायसवाल पत्नी स्व० राधेश्याम जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

सूरजकली जायसवाल,
पत्नी स्व० राधेश्याम जायसवाल,
निवासी— ग्रा० पुनवार पो० पश्चिम शरीरा,
तह० मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेश कुमार (Rajesh Kumar) पुत्र जटा शंकर मिश्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7133 6061 4849 में मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेश कुमार पुत्र जटा शंकर मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेश कुमार पुत्र जटा शंकर मिश्र,
निवासी—156 बनपुरवा समधा उगापुर,
औराई भदोही, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कुशाग्र सिंह (KUSHAGRA SINGH)

पुत्र अमित सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड संख्या 4515 4223 3298 में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम कुशाग्र सिंह से बदलकर प्रखर सिंह (PRAKHAR SINGH) पुत्र अमित सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को प्रखर सिंह (PRAKHAR SINGH) पुत्र अमित सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमित सिंह, पुत्र स्व० एस०पी० सिंह,
निवासी— भवन संख्या 117/186,
काकादेव कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम परीक्षित त्रिवेदी पुत्र सत्येन्द्र कुमार त्रिवेदी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 3344 5900 9955 में उसका नाम परिकाश त्रिवेदी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम परीक्षित त्रिवेदी पुत्र सत्येन्द्र कुमार त्रिवेदी के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्येन्द्र कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री हरीशचन्द्र त्रिवेदी,
निवासी—मो० कोट पुराना सीतापुर,
तहसील व जिला सीतापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम स्वधा श्रीवास्तव पुत्री सुयश कुमार है जो कि उनके शैक्षणिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण

अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम स्वधा श्रीवास्तव से बदल कर मोक्षिका श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को मोक्षिका श्रीवास्तव पुत्री सुयश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुयश कुमार,
निवासी— 98/2C अबुबकरपुर प्रीतमनगर,
धूमनगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिलीप यशराज है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—3688 9673 7291 में उसका नाम डी यशराज हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिलीप यशराज पुत्र दिलीप कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिलीप कुमार यादव, पुत्र अमृता लाल,
मूल निवासी — ग्राम ऊधोपुर खगिया,
सिकन्दरा फूलपुर प्रयागराज,
हाल पता—नईबस्ती
रंगपुरा, फाफामऊ प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम शिव दुलार सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 5044 3500 6866 में मेरा नाम शिवसिंह राजपूत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव दुलार सिंह पुत्र स्व० राज नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिव दुलार सिंह, पुत्र स्व० राज नारायण सिंह,
निवासी— 17, ग्रा० व पो० विकना,
धम्मौर, सुल्तानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदांश सोनी पुत्र श्याम बाबू सोनी है। जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8090 6166 2427 में उसका नाम गर्व अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदांश सोनी पुत्र श्याम बाबू सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्याम बाबू सोनी पुत्र राम सजीवन सोनी,
निवासी ग्राम—समहन, थाना—मेजा,
तहसील—मेजा, जनपद—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० कुसुम पुत्री बंश बहादुर हैं जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8015 5133 2489 में मेरा नाम कंचन सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० कुसुम पुत्री बंश बहादुर के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० कुसुम पुत्री बंश बहादुर,
निवासिनी बासलाल हल्दी रामपुर,
हल्दी रामपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित दिया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उज्ज्वल प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 6712 5926 2166 में उसका नाम प्रियांशु प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उज्ज्वल प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रिंकी प्रजापति पत्नी शिव प्रसाद,
679/175 मना का पूरा तिगनौता,
डांडी प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राकेश पुत्र राधेलाल है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल. आई.सी. पॉलिसी सं० 233058504 में मेरा नाम श्री गोरे लाल साहू अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राकेश पुत्र राधेलाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राकेश पुत्र राधेलाल
निवासी— 62 खुजूरपुर पोस्ट रूमा,
महाराजपुर कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 2065 6559 8883 में मेरा नाम आकाश सिंह अंकित हो गया है। जोकि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह,
निवासी— 32 एस० ब्लाक रविन्द्र नगर,
किदवई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नीरज कुमार पुत्र राम सहाय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 4598 0337 9514 में मेरा नाम पूती सिंह अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नीरज कुमार पुत्र राम सहाय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीरज कुमार पुत्र राम सहाय,
निवासी— लौवा सिंह की मडैया,
पोस्ट झीझक, कानपुर देहात।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गजेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 8388 2217 6147 में मेरा नाम टिंकू पाल अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गजेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गजेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह,
निवासी— लौवा सिंह की मडैया,
पोस्ट झीझक, कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद आरिज सुपुत्र एजाजउद्दीन है जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिष्याचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम मोहम्मद आरिज से बदल कर मोहम्मद आबिद कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को मोहम्मद आबिद सुपुत्र एजाजउद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा अपने पुत्र के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्ण की गई हैं।

एजाजउद्दीन
सुपुत्र मोहम्मद हबीबउद्दीन,
81/176 शमीम मार्केट कॉलोनी,
पोस्ट बम्हरोली, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धमेन्द्र कश्यप पुत्र बदलू कश्यप है जो मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं०-234347508 में मेरा नाम दुर्गेन्द्र कश्यप अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र बदलू कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धमेन्द्र कश्यप पुत्र बदलू कश्यप,
निवासी—दीलावलपुर पोस्ट कौशम,
कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रीना पत्नी लखन सिंह है जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी जांच

आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी पॉलिसी सं0 234039254 में मेरा नाम रीमा अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रीना पत्नी लखन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रीना पत्नी लखन सिंह,
निवासिनी— रंगौली ओसरगांव अता,
जलौन कालपी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हरीम फातिमा (HAREEM FATIMA) पुत्री बुशरा बानो जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—8960 2994 7758 में उसका नाम हनीन फातिमा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हरीम फातिमा (HAREEM FATIMA) पुत्री बुशरा बानो के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बुशरा बानों पत्नी मोहम्मद अजहर,
मोहल्ला गोरियाना खुर्द, जायस,
तहसील तिलोई, जिला अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरे पुत्र का सही नाम दिलेश कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रसाद है, जो मेरे परिवार रजिस्टर, उसके स्कुल द्वारा जारी प्रमाण पत्र फीस रसीद व श्रीमान उपजिलाधिकारी मिर्जापुर सदर कि जॉच आख्या में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार संख्या — 4588 5117 9631 में गगन भारती अंकित हो

गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिलेश कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

योगेन्द्र प्रसाद,
पुत्र राम जुदावन महामलपुर कछवा,
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Hari Sangat Edibles, 958, Kalyan Nagar, Jata Shanker, District-Gorakhpur में साझेदारी डीड दिनांक 07 मई, 2015 को पत्रावली संख्या जी-4329 है जो सहायक निबन्धक, फर्मस सोसाइटीज एवं चिटस, जनपद—गोरखपुर के वहां पंजीकृत है साझेदारी डीड दिनांक 08 फरवरी, 2018 से दो पार्टनर कमशः श्री शिव खत्तरी पुत्र श्री चन्द खत्तरी व श्री प्रकाश चन्द लखमानी पुत्र स्व० लाल चन्द लखमानी थे। हम दोनों साझेदार अपनी व्यक्तिगत जानकारी व किसी की देनदारी न होने के कारण फर्म को हम दोनों साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से बन्द करने का निर्णय लिया गया है जिसे साझेदारी विघटन डीड दिनांक 29 जनवरी, 2026 से फर्म को विघटित किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है।

प्रकाश चन्द्र लखमानी,
साझेदार,
M/s Hari Sangat Edibles, 958,
Kalyan Nagar, Jata Shanker,
District- Gorakhpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एम०आई० कोल्ड स्टोरेज, गुरसहायगंज कन्नौज का पत्रावली सं० K-9521 पर पंजीकृत है। फर्म में दयारूल हक, शमसूल हक, सदरूल हक, वकरूल हक अहसानुल हक, जियायुल हक व इजहारूल हक पार्टनर थे जिसमे

पूर्व पार्टनर शमसुल हक का देहान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को हो गया है संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 02 अप्रैल, 2017 के अनुसार उनकी पत्नी हुस्ना बेगम पति स्व० शमसुल हक को फर्म में शामिल कर लिया गया है। शेष पार्टनर यथावत है।

सदरूल हक,
पार्टनर,
मेसर्स एम०आई० कोल्ड स्टोरेज,
गुरसहायगंज, कन्नौज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स विक्रान्त इस्पात उद्योग, ई-45, बी०एस० रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, 'गाजियाबाद-201009' की साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 1998 के अनुसार श्री भूपेन्द्र कुमार बंसल, श्री जुगल किशोर, श्री प्रमोद कुमार सिंघल कर्ता ऑफ प्रमोद कुमार एचयूएफ, श्री जीवन लाल एवं श्री विजय कुमार साझीदारी थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को श्री प्रमोद कुमार फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं एवं श्री प्रमोद कुमार सिंघल कर्ता ऑफ प्रमोद कुमार एचयूएफ अपना हिस्सा-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2007 के अनुसार श्री भूपेन्द्र कुमार बंसल, श्री विजय कुमार, श्री जुगल किशोर, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जीवन लाल सिंघल साझीदार थे। दिनांक 10 जनवरी, 2026 को संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार दिनांक 09 जनवरी, 2026 को श्री विजय कुमार का देहांत हो चुका है। श्री विजय कुमार के स्थान पर श्री सिद्धार्थ बंसल को साझीदारी में सम्मिलित किया गया है। दिनांक 10 जनवरी, 2026 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री भूपेन्द्र कुमार बंसल, श्री जुगल किशोर, श्री प्रमोद कुमार सिंघल, श्री जीवन लाल सिंघल एवं श्री सिद्धार्थ बंसल साझीदार हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गयी हैं।

भूपेन्द्र कुमार बंसल,
साझीदार,
मेसर्स विक्रान्त इस्पात उद्योग, ई-45,
बी०एस० रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-यश फारवार्डिंग एजेन्सी, महाराजगंज पोस्ट महाराजगंज जिला बस्ती उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 03 सितम्बर, 2007 से श्री अश्वनी कुमार अग्रहरी, श्री शिवाजी, ओम प्रकाश अग्रहरी व श्री चन्द्र भान गुप्ता एवं घनश्याम गुप्ता जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण G-2168 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 24 फरवरी, 2026 से श्री शिवाजी, श्री ओम प्रकाश, श्री चन्द्र भान गुप्ता, श्री घनश्याम गुप्ता जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके हैं, तथा साझेदारी डीड दिनांक 24 फरवरी, 2026 से श्रीमती ज्योति अश्वनी अग्रहरी जी उक्त फर्म में द्वितीया साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री अश्वनी कुमार अग्रहरी एवं श्रीमती ज्योति अश्वनी अग्रहरी जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

अश्वनी कुमार अग्रहरी,
साझेदार,
मेसर्स-यश फारवार्डिंग एजेन्सी, महाराजगंज,
पोस्ट महाराजगंज, जिला बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स श्री राम ट्रेडर्स, न्यू ज्ञान विहार टंकी रोड गढ़ी नियर चक्कर चौराहा, बिजनौर (यू०पी०) जिसकी पंजीकरण सं०- BIJ/0006503 है। उक्त फर्म में दो पार्टनर श्री संजय कुमार पुत्र श्री दयाराम सिंह एवं श्री नरदेव सिंह पुत्र श्री घसीटा सिंह थे। पार्टनर श्री नरदेव सिंह की दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को मृत्यु हो गयी है। फर्म में दिनांक 26 फरवरी, 2026 को श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री संजय कुमार एवं श्री अनुज कुमार पुत्र श्री रनवीर सिंह त्यागी सम्मिलित हो गये हैं। पार्टनर श्री संजय दिनांक 12 मार्च, 2026 को त्याग पत्र/रिटायरमेंट लेकर अपनी

साझीदारी समाप्त कर ली है। त्याग पत्र/रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री अंकुश कुमार एवं श्री अनुज कुमार हैं।

अंकुश कुमार,
मेसर्स श्री राम ट्रेडर्स, न्यू ज्ञान विहार टंकी रोड,
गढ़ी नियर चक्कर चौराहा, बिजनौर, (यू०पी०)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर ए एस सिक्कूरिटी एंड सर्विसेज पता प्लाट नंबर २५६ ओ आर ओ सिटी मड़ियाओं लखनऊ पंजीकृत है। यह कि फर्म में 3 साझेदार — श्री रामआसरे चौधरी, श्री अनिल कुमार चौधरी एवं श्री सुधांशु सिंह साझेदार हैं। दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री सुधांशु सिंह साझेदारी से निकल गये तथा इसी तिथि को श्रीमती सवारी देवी साझेदार के रूप में शामिल हो गयी है वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्री रामआसरे चौधरी, श्री अनिल कुमार चौधरी एवं श्रीमती सवारी देवी साझेदार हैं।

राम आसरे चौधरी,
साझेदार,
मेसर्स आर० ए० एस० सिक्कूरिटी एंड सर्विसेज,
पता प्लाट नंबर २५६ ओ आर ओ,
सिटी मड़ियाओं, लखनऊ।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज पता ग्राम लालपुर पोस्ट लखीमपुर जिला लखीमपुर खीरी से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री पियूष अग्रवाल, एवं श्री अनिल कुमार अग्रवाल, साझेदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री पियूष अग्रवाल, अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि से श्री संजय अग्रवाल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी निकल गये हैं तथा इसी तिथि से श्री पियूष अग्रवाल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं वर्तमान में

2 साझेदार क्रमशः श्री संजय अग्रवाल एवं श्री पियूष अग्रवाल, साझेदार हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

संजय अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे० हारमनी एन्टरप्राइज, एन०एच० 24, स्टेशन रोड सिविल लाइन्स, जिला रामपुर, (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म की पार्टनरशिप डीड दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को बनायी गयी, जिसका पंजीकरण पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण सं० RAM/0009260 पर दिनांक 07 जून, 2021 को कराया गया। फर्म पंजीकरण के समय 1. श्री मुकुल जॉली, 2. श्री वीरेन्द्र जॉली, 3. श्रीमती सुमन जॉली व 4. श्रीमती नुपुर जॉली पार्टनर्स थे। दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को श्री मुकुल जॉली की मृत्यु हो गयी तथा दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 को श्रीमती नुपुर जॉली फर्म से रिटायर हो गयी और शेष पार्टनर के साथ दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 को फर्म पुर्नगठित की गयी। वर्तमान में उक्त फर्म में 1. श्री वीरेन्द्र जॉली व 2. श्रीमती सुमन जॉली साझीदार हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विविध औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

वीरेन्द्र जॉली,
पार्टनर,
मेसर्स जे० हारमनी एन्टरप्राइज, एन०एच० 24,
स्टेशन रोड सिविल लाइन्स, जिला रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s CHEM ECO ENGINEERS, 49A New Azad Nagar, Kalyanpur, Kanpur, Pin-208017 के पते से पंजीकृत है जिसका पंजी०सं० K-7272 पर दिनांक 20 फरवरी, 2002 को पंजीकृत है। फर्म की संशोधित भागीदारी डीड दि० 26 दिसम्बर, 2025 को फर्म का पता परिवर्तन कर 206, Shivkripa Enclave, Plot No- 1/27, Sector-3, Ambedkarapuram, Awas Vikas-3,

Kalyanpur, Kanpur Nagar कर दिया गया है तथा दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 को फर्म में श्रीमती सरिता मिश्रा बालिंग पत्नी श्री राजेश कुमार मिश्रा निवासिनी 1/812, अम्बेडकरपुरम, आवास विकास-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर को शामिल किया गया है तथा साझीदार श्री अनामी शरण गुप्ता पुत्र स्व० एस०पी० गुप्ता निवासी 43-सी, न्यू आजाद नगर, कानपुर साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में श्री राजेश कुमार मिश्रा व श्रीमती सरिता मिश्रा साझीदार हैं।

राजेश कुमार मिश्रा,

पार्टनर,

M/s CHEM ECO ENGINEERS,

49A New Azad Nagar, Kalyanpur, Kanpur.

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जे०के० इंडस्ट्रीज पता राजापुर लखीमपुर खीरी से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार— श्री जगदीश सहगल, श्री राजीव कुमार सहगल एवं श्रीमती रचना सहगल, साझेदार थे। दिनांक 01 अगस्त, 2007 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री राजीव कुमार सहगल, अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी निकल गये हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री राजीव कुमार सहगल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं दिनांक 31 मार्च, 2018 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री जगदीश सहगल, अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्रीमती रचना सहगल एवं श्री राजीव कुमार सहगल, साझेदार हैं।

श्रीमती रचना सहगल,

साझेदार,

मेसर्स जे०के० इंडस्ट्रीज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स Shreeji Associates, 1231 Khalsa School Road, New Rai Ganj, Sipri Bazar, Jhansi, U.P. वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है। —

1. Ajay Kumar Mishra

2. Sachin Mishra

जिसमें दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को Ajay Kumar Mishra जी का स्वर्गवास हो गया अतः उनके स्थान पर Smt. Suneeta Mishra शामिल हो रही है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Sachin Mishra

साझेदार,

मेसर्स Shreeji Associates,

1231 Khalsa School Road,

New Rai Ganj, Sipri Bazar, Jhansi, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स धारीवाल एण्ड अदर्स, ग्राम मालीपुर पो० ऊमरी सब्जीपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म में दिनांक 25-02-2026 को पार्टनर्स (1) श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ बॉबी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बहादुरपुर राजपूत पो० यूसुफपुर नगलिया तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद (2) श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह निवासी 2जी, शाहपुर तिगरी आंशिक, शाहपुर तिगरी, मुरादाबाद ने उपरोक्त फर्म से त्याग पत्र देकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है तथा श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री वेदपाल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर जिला मुरादाबाद उपरोक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर (1) श्री अनुराग धारीवाल पुत्र श्री मित्रपाल सिंह निवासी ग्राम मालीपुर पो० ऊमरी सब्जीपुर जिला मुरादाबाद (2) श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री वेदपाल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर जिला मुरादाबाद हैं।

अनुराग धारीवाल,

फर्म मेसर्स धारीवाल एण्ड अदर्स,

ग्राम मालीपुर पो० ऊमरी सब्जीपुर,

जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स चौधरी कॉन्ट्रेक्टर, ग्राम मिर्जापुर डूंगर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म में दिनांक 20-03-2026 को पार्टनर्स (1) श्री अंकित चौधरी पुत्र श्री चमन सिंह निवासी ग्राम चक रुस्तमपुर तहसील व जिला अमरोहा (2) श्री वीरेन्द्र चाहल पुत्र श्री सन्तरपाल सिंह निवासी ग्राम नरैना कलां तहसील व जिला अमरोहा (3) श्री विपिन कुमार पुत्र श्री खेमपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर तहसील व जिला अमरोहा ने उपरोक्त फर्म से त्याग पत्र देकर अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है तथा श्री सरजू चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर सराय तहसील व जिला सम्भल उपरोक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर (1) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर डूंगर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा (2) श्री सरजू चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर सराय तहसील व जिला सम्भल हैं।

नरेन्द्र सिंह,
फर्म मेसर्स चौधरी कॉन्ट्रेक्टर,
ग्राम मिर्जापुर डूंगर तहसील हसनपुर,
जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम Pavni Thakur पुत्री रिकू कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6991 6698 5764 में उसका नाम Palak Thakur अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम Pavni Thakur पुत्री रिकू कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विविध औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रिकू कुमार पुत्र श्री दिनेश पाल सिंह,
निवासी 6बी/211, फेज 2 बुद्धि विहार,
जिला मुरादाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० डी०एन०ए० इन्फ्राटेक एण्ड डेवलपर्स हाउस नम्बर 32 बदरका तहसील सदर जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है दिनांक 05 नवम्बर, 2025 से मो० फैजान पुत्र नेसार अहमद, शकील अहमद खान पुत्र मो० निजामुद्दीन खान, श्रीमती अलमाशा बानो पत्नी निजामुद्दीन श्रीमती समीरा पत्नी नूर आलम, नरेश चन्द्र जैन पुत्र मानिक चन्द्र जैन फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। दिनांक 05 नवम्बर, 2025 से फर्म में नये साझेदार के रूप में दिपांशु जैन पुत्र महाबीर जैन, अमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र दिलिप कुमार श्रीवास्तव सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में कुल नौ साझेदार कमशः श्रीमती शम्स आरा, श्री शफीक अहमद, श्रीमती शाहीना बानो, शकील अहमद, दिनेश चन्द्र जायसवाल, अमित जायसवाल, सुनील अग्रवाल, दिपांशु जैन व अमित कुमार श्रीवास्तव है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

अमित जायसवाल पुत्र रामानन्द जायसवाल
साझेदार,
पता हाउस नं०- 51 खत्री टोला सदर,
जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० ए०एम०वी० इन्फा डेवलपर्स ग्राम जिगिना करमनपुर पोस्ट मेहमौनी तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है दिनांक 05.11.2025 से गौरी शंकर अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ प्रसाद अग्रवाल फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। दिनांक 05 नवम्बर, 2025 से फर्म में नये साझेदार के रूप में दिपांशु जैन पुत्र महावीर जैन, शकील अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी नूर मोहम्मद, रितेश राय पुत्र स्वर्गीय इन्द्रभूषण राय सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में कुल सात साझेदार कमशः अजीत कुमार राय, मनोज कुमार राय, ललित कुमार श्रीवास्तव, श्यामलदास, दिपांशु जैन, शकील अहमद व रितेश राय हैं ।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अजीत कुमार राय,
पुत्र स्व० अरविन्द कुमार राय,
साझेदार,
नि० ग्राम जिगिना करमनपुर,
पोस्ट मेहमौनी जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।